"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
संजय आवरिया पुत्र श्रीराम जाट ढटाणा	ब ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र :– वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 185 /2021 **GCMS No.** 2021/898

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/11/2021	वादी श्री संजय आवरिया पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढटाणा द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत ढटाणा में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 ग्राम ढटाणा पटवार मण्डल रूपपुरा (?) के खाता नम्बर 63 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि रणजीतसिंह पुत्र श्रीराम दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम संजय आवरिया पुत्र श्रीराम 008300130405 है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008300130405 आधार नम्बर 5283 2169 6131 मतदाता पहचान पत्र .... अन्य दस्तावेज सैनिक मार्कशीट 12 91 2014-218960, जमाबन्दी (?) की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी रूपपुरा (?) भू.अ.नि. कुमावास (?) एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2022.01.21 12:48:19 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	